16.4.18 पत्रावली पेश हुई, [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन [illegible] राजकार्य में व्यस्त [illegible] नहीं हो सकी। पत्रावली [illegible] ---- 24.5.18 ---- को पेश हो।

पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 24-5-18 कैम्प बिसलाई को पेश हो।

24/5/18

पत्रावली लोक अदालत केम्प बिसलाई में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। वादी कालूलाल द्वारा अपनें वाद में चाही गई रिलीफ बाबत् निवेदन किया गया कि ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में ख0नं0 411 रकबा 6.06 हे0 भूमि स्थित है। जिसमें रकबा 1.75 हे0 भूमि मेरें पिता द्वारा काफी मेहनत कर काबिल काश्त बनायी है तथा पिछले 80 वर्षो मेरें पिता का कब्जा काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु के बाद लगातार 80 वर्षो से मेरा कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि किस्म बंजड है, जो सिवायचक है। इस पर प्रतिवादी नं0 1 द्वारा 91 एलआरएक्ट की

कालूलाल

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो कि हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्यवाही की जाती है। इसलिए उपरोक्त भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन/नियमन किया जावें। पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जों शा0 मि0 किया गया। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् जमाबंदी एवं छायाप्रति 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही बाबत् नोटिस की प्रति प्रस्तुत कर रखी है। चूंकि उपरोक्त भूमि ख0नं0 411 रकबा 6.06 हे0 भूमि आबादी के निकट है, उक्त भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है जिसमें से दिनांक 28.12.2017 से रकबा 1.60 हे0 पश्चिम दिशा रा0 उ0 प्रा0 वि0 बिसलाई (खेल मैदान) हेतु आवंटित हुई है, जो सार्वजनिक हित से सम्बन्धित है। वादी द्वारा उपरोक्त भूमि में से ख0नं0 411 रकबा 6.06 हे0 में से 1.75 हे0 पर नियमन/आवंटन की रिलीफ चाही गई है। नियमन/आवंटन प्रकिया अलग प्रकिया है। यदि वादी नियमन/आवंटन की योग्यता रखता है तो नियमानुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करें तथा आवंटन/नियमन की वादी पात्रता रखता है तो नियमानुसार नियमन/आवंटन की शर्तो मुताबिक आवेदन करनें पर, वादी को प्राथमिकता दी जावें। चूंकि विवादित भूमि सिवायचक भूमि है, जिससे वादी को सिवायचक भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिकी जारी हों निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प बिसलाई

उनवान

कालूलाल पुत्र प्रभूलाल जाति मीना निवासी बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 20/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी खारिज किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 24.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner